Toppersnotes®
Unleash the topper in you

झारखण्ड

सब-इंस्पेक्टर (SI)

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC)

भाग - 2

झारखण्ड सामान्य ज्ञान

SIERRA INNOVATIONS

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	झारखण्ड का भूगोल एवं पर्यावरण	1
2.	झारखण्ड की सिंचाई प्रणाली	11
3.	झारखण्ड के वन प्रदेश	13
4.	झारखण्ड के पर्व त्यौहार, मेले	19
5.	झारखण्ड की कला एवं संस्कृति, जनजातियाँ	32
6.	झारखण्ड का इतिहास	56
7.	प्राचीन काल में झारखण्ड	60
8.	झारखण्ड के क्षेत्रीय राजवंश	69
9.	झारखण्ड मे जनजातीय विद्रोह	77
10.	झारखण्ड मे राष्ट्रीय आंदोलन	87
11.	झारखण्ड मे विभिन्न शासन व्यवस्थाएँ	102
12.	झारखण्ड की अर्थव्यवस्था एवं जनसंख्या	112
13.	झारखण्ड में भूमि सुधार से संबंधित कानून	116
14.	झारखण्ड की प्रमुख नीतियाँ	126
15.	केन्द्र सरकार की विभिन्न जन कल्याण कारी योजनायें	140

झारखण्ड का भूगोल एवं पर्यावरण

झारखण्ड का भौगोलिक परिचय

- झारखण्ड राज्य का भौगोलिक विस्तार 21°58'1 से 25°19'15 उत्तरी अक्षांश तथा 83°19'50 से 87°57 पूर्वी देशांतर के मध्य है ।
- यह राज्य विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्द्ध में अवस्थित है ।
- इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के 46% भूभाग को अलग करके किया गया था ।
- देश के पूर्वी भाग में स्थित झारखण्ड भारत का 28वां राज्य है ।
- राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से बडे तथा छोटे जिले है ।
- खूँटी तथा लोहरदगा ही ऐसे जिले है जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते है ।

झारखण्ड की भूगर्भिक संरचना

1. आर्कियनकालीन चट्टानें

- झारखण्ड की चट्टानी संरचनाओं में यह सर्वप्रथम है जिसका विस्तार झारखण्ड के 90% भू-भाग पर है।
- इन चट्टानों में आग्नेय, अवसादी तथा रूपान्तरित तीनों प्रकार की चट्टाने मौजूद है तथा छोटानागपुर पठार की, आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी काल की चट्टानों से है ।
- इन चट्टानों को आर्कियन क्रम व धारवाड क्रम की चट्टानों में वर्गीकृत किया जा सकता है ।

आर्कियन क्रम

- ये गर्म व तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टान है, जो जीवाश्म रहित है ।
- इनमें रूपान्तरण के पश्चात् ये चट्टानें नीस व सिस्ट में परिवर्तित हो गई है ।

धारवाड क्रम

- इन चट्टानों का विकास आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के परिणामस्वरूप हुआ है ।
- ये चट्टाने भी जीवाश्म रहित है ।
- इन चट्टानों में लौह-अयस्क की प्रचुर उपलब्धता के कारण इन्हे लौह-अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है ।

2. विन्ध्यन क्रम की चट्टानें

- अवसादों में जमाव से निर्मित ये चट्टाने बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर से युक्त क्षैतिज परतदार चट्टाने है ।
- पारसनाथ पहाडी का उत्थान भी इसी काल में हुआ है ।

गोंडवाना क्रम की चट्टानें

- इन चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है ।
- आर्थिक दृष्टिकोण से ये चट्टाने अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

सिनोजोइक क्रम

- इस काल में हिमालय के उत्थान के दौरान इसका प्रभाव छोटानागपुर पठारी क्षेत्र पर भी पडा ।
- हिमालय के उत्थान व उसके प्रभाव को तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है । जिसका विवरण निम्नवत है ।

पहला उत्थान

- हिमालय के प्रथम उत्थान का संबंध मायोसीन काल से है ।
- इस दौरान भी छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुयी ।

दूसरा उत्थान

- इस उत्थान का संबंध अन्तिम प्लायोसीन काल से है ।
- इस दौरान भी छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुयी ।

तीसरा उत्थान

- इस उत्थान का संबंध प्लीस्टोसीन काल से है ।
- इन अपरदनों के पश्चात् इस क्षेत्र की वर्तमान ऊँचाई इस प्रकार हैः-
  पाट क्षेत्र - 900 से 1100 मीटर
  राँची पठारी - 600 मीटर से कम
  निम्न छोटानागपुर का पठार - 300 मीटर से अधिक

➢ राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टाने

- इसकी ऊँचाई 900 से 1100 मीटर तक है।

➢ नवीनतम जलोढ निक्षेपः-

- नदियों के अपरदन व जलोढी के निक्षेपण के परिणामस्वरूप इसका निर्माण हुआ है, जो वर्तमान में भी जारी है।
- इनके द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भू-भाग का निर्माण हो गया है। जिसे मोनेडानॉक कहते है।

अन्य तथ्य

- राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूर्व-पश्चिम दिशा में है।
- झारखण्ड में धारावाड क्रम की चट्टानों का विकास कोल्हान पहाडी क्षेत्र में हुआ । इन चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है।

झारखण्ड का धरातलीय स्वरूप

- झारखण्ड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में छोटानागपुर पठारी क्षेत्र का सर्वप्रथम योगदान है। यह पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर-पूर्वी भाग है। इसका विस्तार उडीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा छतीसगढ राज्य की सीमाओं तक है।
- छोटानागपुर पठार की औसत ऊँचाई 760 मी. है तथा इसकी सबसे ऊँची चोटी सम्मेद शिखर (पारसनाथ पहाडी) है। जिसकी ऊँचाई 1,365 मी. (4478 फीट) है। यह झारखण्ड की भी सबसे ऊँची चोटी है।

झारखण्ड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन

1. पाट क्षेत्र (पश्चिमी पठार)

- पाठ का अर्थ समतल जमीन होता है। पारसनाथ के अतिरिक्त यह झारखण्ड का सबसे ऊँचा भाग है।
- इस क्षेत्र का ऊपरी भाग टांड तथा नीचला भाग दोन कहलाता है।
- झारखण्ड के तीन सबसे ऊँचे पाट नेतरहाट पाट, गणेशपुर पाट तथा जनीरा पाट है।
- तश्तरीनुमा बारवे का मैदान झारखण्ड के पाट क्षेत्र का हिस्सा है।

2. राँची का पठार

- राँची का पठार झारखण्ड का सबसे बडा पठारी भाग है।
- यह समुद्रतल से औसतन 600 मीटर की ऊँचाई वाला क्षेत्र है।

3. हजारी बाग का पठार

(अ) ऊपरी हजारीबाग का पठार

- इसका विस्तार राँची पठार के समानान्तर हजारीबाग जिले में है।
- इस पठार की समुद्रतल से औसत ऊँचाई 600 मीटर है।

(अ) निचला हजारीबाग का पठार

- छोटानागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित होने के कारण इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है।
- यह क्षेत्र समुद्रतल से 450 मी. ऊँचा है। यह झारखण्ड में सबसे कम ऊँचाई वाला पठार है।
- यह अत्यंत कठोर पाइरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है।

4. राजमहल की पहाडियाँ एवं मैदानी क्षेत्र

- यह असमान नदी घाटियों एवं मैदानी क्षेत्रों से मिलकर निर्मित हुआ है।
- यह पठारी क्षेत्र समुद्रतल से औसतन 150-300 मीटर ऊँचा है।
- इस क्षेत्र में स्थित राजमहल की पहाडी बिहार के कैमूर पहाडी क्षेत्र तक विस्तृत है।
- इसके दक्षिण में अजय नदी घाटी मौजूद है।

झारखण्ड में अपवाह प्रणाली

- वर्षा के जल एवं अन्य जल के बहाव की समग्र व्यवस्था अपवाह प्रणाली के नाम से जानी जाती है।
- जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के अनुसार राज्य का 1.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जलीय स्त्रोतों द्वारा आच्छादित है, जो राज्य के कुल भूभाग का लगभग 2% है।

झारखण्ड में नदियाँ

- सोन नदी के अतिरिक्त झारखण्ड की सभी नदियाँ बरसाती है, जो जल के लिए मानसून पर निर्भर है। ये गरमी के महीने में सूख जाती है।
- झारखण्ड की नदियों को प्रवाह की दिशा के अनुसार उत्तरवर्ती एंव पूरबवर्ती/दक्षिणवर्ती नदियों में विभाजित किया जा सकता है।

झारखण्ड में खनिज संसाधन

- धात्विक खनिज
  - लौह धात्विक
  - अलौह धात्विक खनिज
- अधात्विक खनिज
- ऊर्जा खनिज

- झारखण्ड खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है।
- झारखण्ड को भारत का 'रुर' कहा जाता है।
- देश के कुल खनिज का लगभग 40% खनिज झारखण्ड राज्य में पाया जाता है।
- विभिन्न खनिजों के भंडार की दृष्टि से झारखण्ड का देश में स्थान इस प्रकार है –

  पहला स्थान – कोयला (कोयला उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान) प्राइम कोकिंग कोल मध्यम कोकिंग कोल पन्ना, रॉक फॉस्फेट

  तीसरा स्थान – ग्रेनाइट, बेंटोनाइट, गैर-कोकिंग

  चौथा स्थान – फायरक्ले, एस्बेस्टॉस, कार्टानाइट, बॉक्साइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट (ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान)

पांचवा स्थान – वार्मीकुलाइट
छठा स्थान – चाइनाक्ले, अभ्रक, क्वार्ट्ज
सातवां स्थान – फेल्सपार, क्वार्ट्ज़ाइट, गारनेट

- वितीय वर्ष 2017 – 18 में राज्य में कुल 2070.39 करोड रुपये मूल्य के खनिज संसाधनों का उत्पादन किया गया है ।
  इंडियन मिनरल बुक के अनुसार चकमक पत्थर का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखण्ड है ।

झारखण्ड में धात्विक खनिज

(A) लौह धात्विक खनिज

1. लौह अयस्क
   - सिंहभूम क्षेत्र, लौह अयस्क की प्राप्ति का प्रमुख केन्द्र है जिसका विस्तार उडीसा के मयूरभूज एवं क्योंझोर तक है ।
   - यह विश्व का सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र है ।
   - देश के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग 26 प्रतिशत झारखण्ड राज्य में निक्षेपित है ।
   - झारखण्ड में उपलब्ध कुल अयस्क का 99 प्रतिशत हेमेटाइट वर्ग का लौह अयस्क है ।
   - राज्य में मैग्नेटाइट लौह अयस्क भंडार के पूर्वी सिंहभूम पलामू, हजारीबाग तथा लातेहार जिले में है ।

2. क्रोमाइट
   - झारखण्ड में क्रोमाइट का संकेन्द्रण मुख्यतः सिंहभूम क्षेत्र है ।
   - राज्य में लगभग 7,36,000 टन क्रोमाइट का भण्डार मौजूद है ।

3. मैंगनीज
   - झारखण्ड में मैंगनीज अयस्क का संकेन्द्रण मुख्यतः सिंहभूम क्षेत्र में है ।
   - राज्य में लगभग 13.7 मिलियन टन मैंगनीज का भंडार उपलब्ध है ।
   - यह धारवाड चट्टानों से प्राप्त होता है ।

4. जस्ता
   - यह संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची एवं सिंहभूम जिले में पाया जाता है ।

5. टिन
   - यह आग्नेय चट्टानों में उपलब्ध कैसिटाइट नामक कच्चे धातु से प्राप्त होता है ।
   - झारखण्ड के हजारीबाग रांची, सिंहभूम, संथाल परगना तथा पलामू में यह पाया जाता है

6. सोना

- राज्य के सिंहभूम क्षेत्र की चट्टानों में सोना अलग मात्रा में पाया जाता है।
- झारखण्ड में इसका उत्पादन मुख्यतः हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है।
- इंडियन मिनरल इयरबुक (2018-19) के अनुसार कर्नाटक के बाद देश में सोने का सर्वाधिक उत्पादन झारखण्ड राज्य में होता है।

(B) अलौह धात्विक खनिज

1. तांबा

- तांबा के उत्पादन की दृष्टि से झारखण्ड भारत का अग्रणी राज्य है।
- देश के कुल तांबा भंडार का 18.5 प्रतिशत झारखण्ड राज्य में निक्षेपित है।
- तांबा का उपयोग बिजली के उपकरणों धातु मिश्रण आदि में किया जाता है।

2. बॉक्साइट

- झारखण्ड में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। जिसमें 52 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक एल्यूमिनियम होता है।
- झारखण्ड के मुरी नामक स्थान पर बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र है।

3. टंगस्टन

- इसका उपयोग बिजली के उपकरण बनाने तथा लौह धातु के निर्माण में किया जाता है।

झारखण्ड में अधात्विक खनिज

1. अभ्रक

- झारखण्ड राज्य में प्रचुर मात्रा में अभ्रक की उपलब्धता है।
- कोडरमा को 'भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है।

2. कायनाइट

- झारखण्ड में कायनाइट का सबसे बडा भण्डार पूर्वी सिंहभूम के लिप्साबुरू क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी, सिंहभूम व सरायकेला-खरसावां जिलें में भी इसके भंडार है।

3. ग्रेफाइट

- यह पलामू में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त लातेहार व गठना में भी ग्रेफाइट पाया जाता है।
- यह कार्बन का एक रूप है, जिसे काला सीसा भी कहा जाता है।

4. चूना पत्थर

- यह हजारीबाग, रांची, पलामू, बोकारो, धनबाद, गढवा, गिरिडीह, गोड्डा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम व पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है।

5. डोलोमाइट

- पलामू जिला के डाल्टनगंज (मेदिनीनगर) व गढवा में डोलोमाइट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

6. एस्बेस्टस

- यह एक रेशेदार खनिज है जो धारवाड क्रम की चट्टानों में पाया जाता है।
- यह छत बनाने के काम में प्रयुक्त होता है।

7. बैंटोनाइट

- यह एक एलुमिनियम सिलिकेट मिट्टी है जिसका ज्वालामुखी में राख से होता है।
- इसे आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है।

8. सोपस्टोन क्वार्ट्ज

- यह झारखण्ड के सम्पूर्ण छोटानागपुर क्षेत्र के साथ-साथ कुछ अन्य जिलों में भी उपलब्ध है।

झारखण्ड में ऊर्जा खनिज

कोयला

- झारखण्ड भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है।
- ऊर्जा सांख्यिकी 2020 के अनुसार देश का लगभग 25.88 कोयला (31 मार्च 2019) की स्थिति के अनुसार झारखण्ड राज्य में पाया जाता है।
- इंडियन मिनरल इयरबुक (2018-19) के अनुसार झारखण्ड राज्य में देश के कुल कोयला उत्पादन का 18.25 प्रतिशत उत्पादित किया गया है।
- राज्य के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 95 प्रतिशत दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में होता है।
- झरिया क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अन्तर्गत आता है।
- झरिया पूरे झारखण्ड के कोयला उत्पादन का 60 प्रतिशत कोयला उत्पादन करता है।
- झारखण्ड में कोयले के तीन प्रकार (कोकिंग अर्द्ध कोंकिग तथा गैर-कोंकिग) पाया जाता है।
- झरिया परियोजना
- राजमहल परियोजना

प्राइम कोकिंग कोल

- झारखण्ड राज्य देश में प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है ।
- झारखण्ड में प्राइम कोकिंग कोल का भंडार लगभग 5313 मिलियन टन है, जो देश के कुल कोकिंग कोल का लगभग 100% है ।

यूरेनियम

- यह एक आण्विक खनिज है ।
- भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन (लगभग -शत-प्रतिशत) झारखण्ड राज्य में ही किया जाता है ।

थोरियम

- यह एक आण्विक खनिज है ।
- झारखण्ड के रांची पठार और धनबाद में इसका उसका विस्तार है ।

इल्मेनाइट

- यह एक आण्विक खनिज है ।
- यह रांची में पाया जाता है ।
- देश के कुल इल्मेनाइट का 0.12 प्रतिशत झारखण्ड राज्य में उपलब्ध है ।

बोरिलियम

- यह बेरिल नामक खनिज प्रस्तर से प्राप्त होता है ।
- झारखण्ड के कोडरमा तथा गिरिडीह जिले में बोरिलियम पाया जाता है ।

जिरकन

- इसकी प्राप्ति झारखण्ड में रांची तथा हजारीबाग जिले से होती है ।

झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड

- राज्य सरकार द्वारा खनिज संसाधनों के विकास एवं उनके समुचित उपयोग के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड गठन किया गया है ।
- झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों पर कई परियोजना की स्थापना की गयी है । जिसका विवरण है –

झारखण्ड की कृषि

- झारखण्ड की कुल भूमि के मात्र 23% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है ।
- बजट 2019-20 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का 75% कृषि क्षेत्र में कार्यरत है ।
- वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार झारखण्ड में 38 हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य संभव है । जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 47.69% है ।
- झारखण्ड में मुख्यतः तीन फसलों, धान, गेहूँ तथा मक्का की खेती की जाती है । धान झारखण्ड की सर्वप्रमुख फसल है मक्का यहां की दूसरी प्रमुख फसल है ।
- राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत कुआँ है ।
- राज्य में लगभग 14.79% परती भूमि पायी जाती है ।

खरीफ फसल

- मानसून के आगमन के समय अर्थात जून- जुलाई में इन फसलों की बुआई की जाती है तथा मानसून की समाप्ति पर अर्थात सितम्बर - अक्टम्बर में इनकी कटाई की जाती है ।
- प्रमुख खरीफ फसल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग आदि है ।
- झारखण्ड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में वर्ष 2018-19 में 2017-18 की तुलना फसल में खरीफ के उत्पादन में कमी दर्ज की गयी है ।

रबी फसल

- रबी फसल को ठंडे मौसम की फसल या वैशाखी फसल भी कहा जाता है ।
- रबी फसल अक्टूम्बर- नवम्बर में बोयी जाती है । तथा मार्च में काट ली जाती है ।
- गेहूँ जौं, चना, तिलहन आदि प्रमुख रबी फसलें है ।

झारखण्ड की प्रमुख फसलें

फसल का नाम - धान/चावल
प्रमुख उत्पादन क्षेत्र - सिंहभूम, राँची, गुमला, दुमका
महत्वपूर्ण बातें - यह झारखण्ड में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है तथा राज्य की सर्व प्रमुख खाद्य फसल है ।

झारखण्ड में खाद्य सुरक्षा

- झारखण्ड आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार राज्य में वर्तमान समय में कुल 375 गोदाम कार्यरत हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 1.61 लाख मीट्रिक टन हैं।
- राज्य में सर्वाधिक गोदाम गढ्वा (30) गिरिडीट (28) तथा पलामू (27) में है ।
- राज्य में सर्वाधिक पीडीएस डीलर राँची जिले में है ।

झारखण्ड की सिंचाई प्रणाली

- झारखण्ड राज्य में कुल सिंचित भूमि का 12.77% भाग है ।
- राज्य की कुल सिंचित भूमि को 58.32% भाग जल के द्वारा जबकि 41.07% भाग भूमिगत जल के द्वारा सिंचित है ।
- राज्य में कुल सिंचित भूमि का 58% भाग सतही जल द्वारा और 42% भाग भूमिगत जल द्वारा सिंचित होता है ।
- सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता वाले जिले - गोड्डा, साहेबगज, दुमका, गुमला
- सिंचाई की उच्च आवश्यता वाले जिले - देवघर, रांची, लोहरदगा एवं पश्चिमी सिंहभूम
- सिंचाई की मध्यम आवश्यता वाले जिले - गढवा, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह
- सिंचाई की निम्न आवश्यता वाले जिले - चतरा, बोकारो, धनबाद, एवं पूर्वी सिंहभूम

झारखण्ड में सिंचाई परियोजनाएं

वृहद् सिंचाई परियोजना

- 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक सिंचाई व्यवस्था वाले परियोजना को वृहद् सिंचाई परियोजना कहते हैं ।
- झारखण्ड राज्य में संचालित प्रमुख वृहद् सिंचाई परियोजनाएं ।

मध्यम सिंचाई परियोजना

- 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं ।
- राज्य में 600 से अधिक मध्यम सिंचाई परियोजनाएं चल रही है ।

लघु सिंचाई परियोजना

- 2000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम में सिंचाई की व्यवस्था वाली परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं ।
- राज्य सरकार द्वारा पहाडी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड के मध्यम से विभिन्न लघु सिंचाई परियोजना चलाई जा रही हैं ।

बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजना

- वैसी परियोजनाएं जो एक से अधिक उद्देश्यो की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है उन्हें बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है ।
- परियोजनाओं के अंतर्गत नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई के साथ-साथ बाढ नियंत्रण जल विद्युत उत्पादन मत्स्यन आदि कार्य संपन्न किया जाता है ।

झारखण्ड में बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ

दामोदर नदी घाटी परियोजना

- यह भारत की पहली बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजना जिसे 1948 ई. में प्रारंभ किया गया।
- यह झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है।
- इस परियोजना के संचालन हेतु 7 जुलाई, 1948 ई. को दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है।
- इस परियोजना के 8 बडे बाँध हैं –
  तिलैया, मैथन, बाल पहाडी, पोत, अय्यर, बेमो, बोकारी एवं कोनार
- इस परियोजना से 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है।

स्वर्णरेखा नदी परियोजना

- 1982–83 ई. में प्रारंभ यह झारखण्ड, पाश्चम बंगाल तथा उडीसा की संयुक्त परियोजना है।
- यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलायी जा रही है।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

झारखण्ड में वन प्रदेश

1. उष्णकटिबंधीय आदि पर्णपाती वन प्रदेश
    - 120 सेमी. से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र पतझड वन पाये जाते है। इसी कारण ऐसे क्षेत्र को आर्द्र पर्णपती तन प्रदेश कहा जाता है ये सागरीय मौसम से प्रभावित जलवायु क्षेत्र है । जहाँ अधिक वर्षा होती है ।
    - राज्य के 2.66% भू-भाग उष्णकटिबंधीय आन्र्द्र पर्णपती वन प्रदेश अन्तर्गत आते है ।

2. उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश
    - 120 सेमी. से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पतझड वनों का विकास हुआ है इसी कारण ऐसे क्षेत्र को शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश कहा जाता है ।
    - राज्य के 93.25% भू-भाग, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश मुख्य के अंतर्गत आते है ।

मुख्य वनोत्पाद

साल/सखुआ

- अत्यंत कठोर होने के कारण साल की लकडी का प्रयोग इमारती लकडियाँ फर्नीचर बनाने, रेल के डिब्बे पटरियों के स्लैब आदि के निर्माण के लिए किया जाता है ।
- यह झारखण्ड का राजकीय वृक्ष है ।

शीशम

- अत्यंत मजबूत होने के कारण इसका प्रयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है ।

महुआ

- यह झारखण्ड का सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष है, क्योंकि इसकी लकडी फल, फूल तथा बीज का सभी उपयोग होता है।
- इसकी लकडी काफी मजबूत होने के कारण दरवाजे-खम्बे आदि बनाने हेतू फूल बनाने हेतु फल सब्जी के रूप में तथा बीज तेल निकालने हेतु प्रयुक्त होता है ।

सागौन

- इसकी लकडी काफी मजबूत और सुन्दर होती है। जिसका प्रयोग फर्नीचर, रेल के डिब्बे हवाई जहाज आदि के लिए किया जाता है ।

सेमल

- इसकी लकडी हल्की मुलायम और सफेद होती है। जिसका प्रयोग पैकिंग पेटियों, तख्तिया तथा खिलौना बनाने के लिए किया जाता है।
- इसमें रुई का उत्पादन भी किया जाता है ।

Toppersnotes
unleash the topper in you

गम्हार

- इसकी लकडी हल्की मुलायम तथा चिकनी होने के साथ-साथ काफी टिकाऊ होती है। जिसका उपयोग फर्नीचर निर्माण हेतू किया जाता है ।
- लकडियो पर नक्काशी की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है ।

जामुन

- पानी में भी अत्यधिक दिनों तक खराब नहीं होने का गुण पाये जाने के कारण इसका सर्वाधिक प्रयोग कुओं के आधार के रूप में किया जाता है । इसका प्रयोग फर्नीचर निर्माण हेतू किया जाता है ।

आम

- इसकी सुलभता के कारण इसका प्रयोग फर्नीचर व दरवाजे आदि बनाने के लिए किया जाता है ।

कटहल

- इसकी लकडी का प्रयोग इमारतों के लिए, इसके फल का उपयोग खाने हेतू किया जाता है ।

केन्द

- इसकी लकडियो का प्रयोग मुख्य उत्पाद के रूप में तथा इसकी पत्तियों का उपयोग गौण उत्पाद के रुप में किया इसका प्रयोग जाता है । प्रायः गोण उत्पाद के रुप में ही अधिक किया जाता है ।

गौण वनीत्यद

लाह

- भारत में कुल लाह उत्पादन का 50% झारखण्ड में उत्पादित किया जाता है। यह लाह उत्पादन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है ।
- लाह की चार किस्मे वैशाखी लाह, जेठवी लाह कतही लाह एवं अगहनी लाह होती है ।
- झारखण्ड में कुल लाह उत्पादन का लाह 82% वैशाखी लाह से प्राप्त होता है ।
- लाह/लाख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'लक्षा' शब्द से हुई है ।

तेन्दु पत्ता

- यह राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से झारखण्ड प्रमुख गौण उत्पाद है ।
- इसका प्रयोग बीडी एवं तम्बाकू के निर्माण हेतू किया जाता है ।
- राज्य में केन्दु पत्ता के प्राथमिक संग्राहको को केन्दु पत्तों के संग्रहण के बदले उचित मजदूरी के भुगतान हेतु झारखण्ड राज्य केन्दु पत्ता नीति 2015 को आधसूचित किया गया है ।

तसर रेशम

- तसर रेशम के उत्पाद की दृष्टि से झारखण्ड का देश में प्रथम स्थान है यहां देश का 60% तसर रेशम उत्पादित किया जाता है ।
- रेशम के कीडें के पालन हेतू झारखण्ड में साल शहतूत, आसन, अर्जुन आदि वृक्षों का उपयोग किया जाता है ।
- राज्य की राजधानी रांची के नगडी में भारत सरकार द्वारा तसर अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है।
- झारक्राफ्ट द्वारा झारखण्ड के चार जिलों में रेशम पार्कों की स्थापना की गयी है ।

बांस

- झारखण्ड में जनजातीय समुदायों के द्वारा घरेलु सामनों के निर्माण एवं जीविकोपार्जन हेतू बांस का उत्पादन किया जाता है ।
- इसका व्यापारिक उपयोग कागज उद्योग एवं घर निर्माण में किया जाता है ।

झारखण्ड में वन प्रबंधन

- झारखण्ड राज्य में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास सन् 1882-85 के बीच जे. एफ. हेबिट के द्वारा किया गया था।
- 1909 में बंगाल सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए एक वन समिति का गठन किया गया ।
- व्नों के संरक्षण एवं विकास हेतु राज्य के सभी प्रादेशिकी वन प्रमण्डलों में वन विकास अभिकरण का गठन कर लिया गया है ।
- राज्य के 3,424 वर्ग किमी. क्षेत्र में वनोरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।
- राज्य में 9 लाख हैक्टेयर से अधिक बंजर भूमि पर वन रोपण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ।
- शहरी क्षेत्र में अवस्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु झार-पार्क्स का गठन किया जाता है ।

वन अधिकारी अधिनियम, 2006
तथा नियमावली, 2008

- इस अधिनियम के तहत वनवासियो को जंगल की जमीन पर निवास हेतू अधिकार प्रदान किए गए हैं जिन्हें निम्न दो तरह से परिभाषित किया गया है ।
  (1) वन में निवास करने वाली अनुसुचित जनजाति इसके तहत अनुसूचित जनजाति के ऐसे सदस्य या समुदाय आते है। जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते हैं। और जीविका की वास्तविक आवश्कताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर हैं। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के चारागाही समुदाय भी शामिल है ।
  (2) अन्य परंपरागत वन निवासी इसके अंतर्गत ऐसा सदस्य जो 13 दिसम्बर 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढीयों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करता रहा है और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहा है शामिल है ।

- निवास एवं खेती के लिए जंगल की जमीन पर अधिकार तभी मिलेंगे जबकि अधिनियम में परिभाषित वन निवासियों के द्वारा
  (क) जंगल की जमीन 13 दिसम्बर, 2005 के पहले से अधिभोग में है।
  (ख) जंगल की जमीन 13 दिसम्बर 2007 तक अधिभोग में हो।
- अधिनियम में 'वन ग्राम' को परिभाषित किया गया है। 'वन ग्राम' में रहने वाले ग्रामीणों को खेती एवं आवास के लिए वन भूमि पहले से ही वन विभाग के द्वारा दी गयी है। जिसे इस अधिनियम के तहत उन्हें अधिकार मिलना निश्चित है।
- नये कानून में वन भूमि पर वन निवास के अधिकार को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति ग्राम संभा को दी गयी है। इस शक्ति का प्रयोग करने के ग्राम सभा की नियामवली 2008 के अनुसार ग्राम सभा का गठन करना है। इस अधिनियम में ग्राम सभा को वन बचाने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है, इसके लिए ग्राम सभा अपने ही, सदस्यो से एक समिति अलग से गणित करेगी।
- अनुसूचित जनजति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 को लागू करने हेतु मूलतः ग्राम सभा को दो तरह से आगे बढना है।
  - वन भूमि पर व्यक्तिगत/सामुदायिक अधिकारों को अवधारित करने की प्रक्रिया आरंभ करती है। तथा इसके लिए वन अधिकार समिति का गठन करना है।
  - वन को बचाने में प्राधिकार (शक्ति) पाने के लिए भी अलग से एक समिति (वन सुरक्षा समिति) का गठन करना है।

- वन भूमि पर आवास एवं कृषि के लिए व्यक्ति गत/सामुदायिक स्तर पर जो अधिकार इस कानून में दिए गये है, उसके बारे में ग्रामवासियों की वास्तविक स्थिति की जानकारी अवश्य होनी चाहिए –
  - झारखण्ड राज्य के 85 प्रतिशत वन लगभग इसके 13000 राजस्व गाँव में सुरक्षित वन के रूप में है। इन वनों की लकडी फूल, फल, बीज पत्ती, लाह लगाने इत्यादि का सामूहिक अधिकार सभी ग्रामवासियों के खलियान में है और वन कानून मान्य है
  - किसी गाँव का कोई भी ग्रामीण प्राथमिक रूप से वनो में निवास करते रहे है। और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओ के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर नहीं रहे तो उन्हें इस अधिनियम के अनुसार 'वन निवासी' नहीं कहा जाएगा और वन भूमि पर कृषि या आवास के लिए उनका कोई अधिकार नहीं होगा।

- इस अधिनियम में ग्राम सभा को वन बचाओ का भी अधिकार दिया गया है। इसके लिए समिति के माध्यम गणित से ग्रामवासियों को अधिकार भागीदारी एवं सम्मान देने का निर्णय वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या दिनांक 6023 15 नवंबर 2007 में लिया जा चुका है। जिसके लिए निम्नलिखित बिन्दुओ की जानकारी सभी ग्रामवासियों को होनी चाहिए।